मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 27 जुलाई, 2009 (श्रावण 5, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख

(1) श्री सुखीराम, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा

(2) श्री उमाशंकर पाठक, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा

(3) श्री मोहम्मद याकूब रजवानी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा

(4) श्री चंदनमल बनवट, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा

(5) वाहन दुर्घटना में मृत कविजन

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम, 1980 (क्रमांक 18 सन् 1980) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 तथा 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्लपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2006-2007 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सर्वश्री गोविन्द सिंह राजपूत, विजेन्द्र सिंह मलाहेड़ा (विज्जु बना), सदस्य, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत नंदन फलोद्यान उप योजना में पौधों तथा अन्य सामग्री के क्रय में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य, सीधी जिले के गुलाब सागर बांध परियोजना निरीक्षण के दौरान श्रमिकों को फर्जी चेक प्रदाय किये जाने की ओर राज्यमंत्री श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री आरिफ अकील, सदस्य, रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल द्वारा भूखंड आवंटन में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारित मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री देवेन्द्र वर्मा, राजेन्द्र श्यामलाल दादू, कुं. विजय शाह, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्राम कुटवी में आदिवासी संत की हत्या के आरोपियों को गिरफतार न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम जलकोठी में रेत खदान धसकने से श्रमिकों की मौत होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री रामनिवास रावत, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री राधेलाल बघेल, सदस्य, श्योपुर जिले के विजयपुर थाना कर्मियों द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री पारस दादा, यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रवेश में अनियमितता किये जाने की ओर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी जिले के विजयराघवगढ़ क्षेत्र में गरीबी रेखा की सूची में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य, सतना जिले के -

(क) मैहर विकास खण्ड के ग्राम पटिया के बमुरहाहार में 65 के.व्ही. का नवीन ट्रांसफार्मर लगाये जाने,

(ख) मैहर तहसील की शासकीय कन्या हाई स्कूल में अतिरिक्त भवन निर्माण कराये जाने, तथा

(ग) मैहर तहसील के लहागांव में 100 के.व्ही. का ट्रांसफार्मर लगाये जाने,

(2) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -

(क) तहसील गाडरवारा के शासकीय हाई स्कूल आमगांव छोटा को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा

(ख) चीचली विकास खण्ड के ग्राम रायपुर की माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

-2-

(3) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के -

(क) नागदा तहसील के ग्राम वेरछा की हाई स्कूल को हाई सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(ख) खाचरौद तहसील के ग्राम भीखमपुर की माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(ग) ग्राम बड़े गांव की माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, भोपाल जिले के -

(क) वल्लभ नगर के क्रमांक-1 व 2 को एन.आर.यू.एम. के अंतर्गत बी.डी.ए. से मकान बनाकर प्रदान किये जाने, तथा

(ख) जवाहर चौक के सुनहरी बाग स्थित रोड का डामरीकरण एवं नाली बनाये जाने,

(5) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य, पन्ना जिले के -

(क) जनपद पंचायत अजयगढ़ के ग्राम खोरा में महाविद्यालय खोले जाने, तथा

(ख) ग्राम पंचायत पहाड़ी खेरा में हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोले जाने,

(6) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य, जबलपुर जिले के -

(क) शहर के वार्ड नं. 35 में सराफा नाद व न्यू आनंद नगर में नाले पर पुलिया निर्माण किये जाने,

(ख) शहर के अब्दुल हमीद चौक (रद्दी चौकी) में पुलिया तक नाला निर्माण किये जाने, तथा

(ग) सुभाषचंद बोस वार्ड में नाला निर्माण किये जाने,

(7) श्री ब्रजराज सिंह, सदस्य, श्योपुर जिले के -

(क) ग्राम जावडेश्वर में नल-जल योजना स्वीकृत किये जाने,

(ख) पुराने जिला अस्पताल के परिसर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा

(ग) विकासखण्ड श्योपुर के चन्द्रपुरा में तालाब गहरीकरण किये जाने,

(8) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, सागर जिले के -

(क) सुरखी विकासखण्ड के ग्राम गेहूंरास तिगड्डे पर पुलिस चौकी खोले जाने, तथा

(ख) प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत ग्राम नरियावली से समोस मार्ग निर्माण कराये जाने,

(9) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम प्रकाश बमोरी में जंगली जानवर (नीलगाय) को वन विहार के सुपुर्द किये जाने,

(10) डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य, रायसेन जिले के सांची विकासखण्ड के ग्राम सेमरा से भोपाल-विदिशा मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(11) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य, भोपाल शहर की होशंगाबाद रोड़ वार्ड क्रमांक 45 स्थित स्लाटर हाउस को स्थानांतरित किये जाने या आधुनिकीकरण कर प्रदूषण मुक्त बनाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (क्रमांक 17 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

1 घन्टा (2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2009 (क्रमांक 12 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा (3) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेगें कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 14 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (4) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 15 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा (5) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. (1) प्रदेश में व्याप्त विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, तथा डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत तथा श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्यगण चर्चा उठायेंगे.

1घन्टा 30 मि. (2) प्रदेश में हो रहे लगातार अपराधों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण, चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 26 जुलाई, 2009